न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1755–दो/2000 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2000 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 205/1995–96 अपील

1– बैजनाथ 2– ग्यादीन 3– आशाराम
4– रामबाबू चारों पुत्रगण रामसुख कुशवाह
निवासी ग्राम सीताराम की लावन
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड मध्य प्रदेश --आवेदकगण

विरूद्ध

पुन्ने पुत्र कल्याण कुशवाह निवासी ग्राम
सीताराम की लावन
तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0 शर्मा)

आ दे श

(दिनांक 1–2– 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 205/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–6–2000 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम सीतराम की लावन स्थित आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 0.690 हैक्टर मुरारी पुत्र शोभाराम काछी के नाम थी , जिसकी मृत्यु उपरांत आवेदकगण ने बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग करने पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दिनांक 12-6-88 से बसीयत के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, मेहगांव जिला भिण्ड के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 55/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-6-1996 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 205/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2000 दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये एंव प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर एंव निगरानी मेमो के तथ्यों पर विचार किया गया। आवेदक के अभिभाषक व्दारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- एक मेहगॉव के न्यायालय से निराकृत व्यवहार वाद क्रमांक 428 ए/1998 में पारित आदेश दिनांक 31-8-2000 तथा मान0 प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय से निराकृत व्यवहार अपील क्रमांक 44 ए/2000 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदक ने उक्तानुसार व्यवहार वाद दायर किये थे जो निरस्त हुये हैं इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार निर्णय किया जावे। अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 205/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2000 से

अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव का आदेश दिनांक 20-6-96 एंव नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 9 पर आदेश दिनांक 12-6-88 से किये गये नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मेहगॉव की ओर प्रत्यावर्तित किया गया है जहॉ उभय पक्ष की सुनवाई की जाना है एंव आवेदक एंव अनावेदक व्यवहार वाद में हुये निर्णय अनुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 30-6-2000 में हस्तक्षेप करना उपयुक्त नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 205/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2000 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर